

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश  
गौतम नगर, भोपाल 462 021  
दूरभाष- 91-0755-2583650 फेक्स- 91-0755-2583651  
ई-मेल dpividhya@yahoo.com

क्रं/विद्या/पी/परीक्षा/कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं/बोर्ड पेटर्न/2009-10/138 भोपाल,दि. 03.02.2010  
प्रति, 04.02.2010

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक लोक शिक्षण,  
मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी,  
मध्यप्रदेश।


विषय :-बोर्ड पेटर्न पर आधारित कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की मुख्य परीक्षा का आयोजन।

- संदर्भ :-1. संचालनालय का पत्र क्रमांक-विद्या/पी/बोर्डपेटर्न /परीक्षा/9वी,11वी /68-69,  
/2009-10दिनांक 20.01.2010।  
2. संचालनालय का पत्र क्रमांक-विद्या/पी/परीक्षा कार्यक्रम/2010/95-96 दि.27.01.2010।

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र क्रमांक-2 का अवलोकन करें जिसमें कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं की परीक्षा तिथियों में संशोधन किया गया है। कक्षा 9 वीं की मुख्य परीक्षा दिनांक 06 मार्च से 23 मार्च एवं कक्षा 11 वीं की परीक्षाएँ दिनांक 03 मार्च से 29 मार्च, 2010 तक आयोजित होगी। प्रायोगिक विषयों की परीक्षाएं संस्था स्तर पर सुविधानुसार परीक्षाओं के मध्य ही आयोजित की जाए ताकि वार्षिक परीक्षा परिणाम निर्धारित दिनांक 31.03.2010 तक घोषित किया जा सके। प्राचार्य प्रायोगिक परीक्षाओं की तिथि एवं समय निर्धारित कर विद्यार्थियों को सूचित करें।

पूर्वानुसार परीक्षाओं का मूल्यांकन का कार्य विकासखण्ड स्तर पर शा.उत्कृष्ट उ.मा.विद्यालय स्तर पर सुनिश्चित कराया जाए तथा कक्षा 9 वीं एवं 11वीं की वार्षिक परीक्षाओं में तिमाही परीक्षा का 10 प्रतिशत तथा छःमाही परीक्षा का 10 प्रतिशत अधिभार दिया जाए। वार्षिक परीक्षा के 80 प्रतिशत अंक होंगे।

इस संबंध में परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण निर्देश पुस्तिका का अध्ययन कर नियमानुसार परीक्षा सम्पन्न कराये। पुस्तिका स्कूल शिक्षा विभाग के एजुकेशन पोर्टल पर <http://www.educationportal.mp.gov.in/> पर अपलोडेड है।


  
(डॉ.अवध किशोर मिश्रा)  
संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

भोपाल,दि 03.02.2010,  
04.02.2010

पृ.क्रं/विद्या/पी/परीक्षा/कक्षा 9 वीं एवं 11 वीं/बोर्ड पेटर्न/2009-10/139

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
2. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश।
3. समस्त जिला कलेक्टर, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. सचिव, माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. समस्त सहायक आयुक्त/जिला संयोजन आदिवासी विकास विभाग, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. समस्त केन्द्राध्यक्ष/प्राचार्य, हाईस्कूल/उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
संचालक  
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश